भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2499

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

राजस्थान में सूक्ष्म वित्त कंपनियां

2499. श्री राजकुमार रोत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सूक्ष्म वित्त कंपनियों के संचालन के लिए कोई मानक या मानदंड हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में सूक्ष्म वित्त कंपनियां किस अधिकतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रही हैं;

(ग) इन सूक्ष्म वित्त कंपनियों के विरुद्ध ऋण के लिए उच्च ब्याज दर वसूलने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या और इस संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है;

(घ) उक्त राज्य में निपटाई गई शिकायतों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) बांसवाड़ा जिलों में संचालित सूक्ष्म वित्त कंपनियों की संख्या तथा निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज वसूलने एवं ऋण न चुकाने पर लोगों को मानसिक रूप से परेशान करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(च) उक्त जिलों की उपरोक्त बताई गई शिकायतों में से कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है; और

(छ) देश में सूक्ष्म वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण की राशि का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सूक्ष्म वित्त संस्थान) निर्देश, 2025 के पैरा 8(3) के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) का अर्थ जमा न लेने वाली एनबीएफसी से है जिसके पास अपनी कुल आस्तियों का न्यूनतम 60 प्रतिशत (अमूर्त आस्तियों द्वारा समायोजित) नियमित आधार पर "सूक्ष्म वित्त ऋण" के लिए अभिनियोजित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म वित्त ऋण का अर्थ 3,00,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार को दिए गए संपार्श्विक-मुक्त ऋण है। इस प्रयोजन के लिए, परिवार का अर्थ एक व्यक्तिगत परिवार इकाई, अर्थात्, पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे से होगा।

(**ख**): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ब्याज दरों को अविनियमित किया जाता है और विनियमित संस्थाएं (आरई) सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेंगी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(1) सर्व-समावेशी ब्याज दर के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित ब्याज दर मॉडल/दृष्टिकोण।

(2) वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर प्रत्येक घटक की मात्रा के संदर्भ में ब्याज दर के घटकों जैसे निधियों की लागत, जोखिम प्रीमियम और मार्जिन आदि का विवरण।

(3) किसी दिए गए श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए प्रत्येक घटक के प्रसार की सीमा।

(4) माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर लागू ब्याज दर और अन्य सभी प्रभारों की सीमा।

इसके अलावा, यह भी निर्धारित किया गया है कि सूक्ष्म वित्त ऋणों पर ब्याज दरें और अन्य प्रभार/शुल्क अधिक नहीं होने चाहिए और इन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी जांच के अध्यधीन किया जाएगा।

(**ग**) **और** (**घ**): मांगी गई सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखी जाती है।
तथापि, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के स्व-विनियामकीय संगठन (एसआरओ) अर्थात् सा-धन और सूक्ष्म वित्त उद्योग नेटवर्क (एमएफआईएन) सूक्ष्म वित्त कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में आंकड़े एकत्र करते हैं। एमएफआईएन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एमएफआईएन-ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र (सीजीआरएम) में, पिछले 1 वर्ष (दिसंबर 2024 - नवंबर 2025) में, उच्च ब्याज दर वसूलने से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। जैसा कि स-धन द्वारा सूचित किया गया है, जुलाई-सितंबर 2025 की अंतिम तिमाही के दौरान, केवल एक शिकायत उच्च ब्याज दर से संबंधित थी; और एक महीने में समाधान हो गया।

(**ङ**) **और** (**च**): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान के दुंगारपुर और बांसवाड़ा जिलों में प्रचालनरत एनबीएफसी-एमएफआई की संख्या क्रमश 13 और 12 है। निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज वसूलने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।
इसके अतिरिक्त, जैसा कि दुंगारपुर-बांसवाड़ा जिलों में एमएफआईएन द्वारा सूचित किया गया है, दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 की अवधि के दौरान, अत्यधिक ब्याज शुल्क या जबरन वसूली प्रथाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(छ): एमएफआईएन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा राज्यवार संवितरित ऋण की राज्यवार राशि इस प्रकार है:-

एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा संवितरण (राशि करोड़ रुपए में)		
राज्य	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.83	12.67
आंध्र प्रदेश	1,159.80	1,450.84
अरुणाचल प्रदेश	51.99	88.16
असम	906.16	2,141.32
बिहार	17,417.84	16,315.44
चंडीगढ़	3.05	3.74
छत्तीसगढ़	2,284.56	2,355.20
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0.31	1.10

दिल्ली	29.99	20.69
गोवा	65.37	59.34
गुजरात	3,207.81	2,914.43
हरियाणा	1,269.28	1,281.85
हिमाचल प्रदेश	76.33	84.03
जम्मू और कश्मीर	54.45	54.75
झारखंड	3,410.00	3,230.81
कर्नाटक	11,338.36	11,042.11
केरल	2,198.89	2,042.52
मध्य प्रदेश	7,174.24	7,425.83
महाराष्ट्र	7,766.91	8,881.34
मणिपुर	0.95	0.49
मेघालय	8.05	26.57
मिजोरम	4.69	1.37
नागालैंड	2.84	17.99
ओडीशा	6,688.57	5,535.40
पुतुचेरी	197.58	197.96
पंजाब	1,123.15	1,177.30
राजस्थान	4,633.34	4,203.29
सिक्किम	9.00	13.98
तमिलनाडु	12,803.83	12,126.81
तेलंगाना	462.91	1,147.91
त्रिपुरा	419.06	469.21
उत्तर प्रदेश	14,904.33	14,219.81
उत्तराखंड	499.31	525.56
पश्चिम बंगाल	6,379.41	7,050.09
अन्य	1,226.07	29.34
भारत	**1,07,787.29**	**1,06,149.27**

*****